न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :—श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—36 / 2022

वादी		प्रतिवादीगण
1 शेरसिंह पुत्र दुर्गाराम जाति खारवाल निवासी 21 / 624 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।	बनाम	1 सुनिल परिहार पुत्र जगदीशसिंह परिहार जाति माली निवासी ई—27 मरूधर इण्डिस्ट्रीज एरिया द्वितीय फैस वासनी जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर 2 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री नवलसिंह राठौड़, वकील वादी पक्ष।

2. श्री सुरेश कुमार पूनड़, वकील प्रतिवादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 06/09/22

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी की भूमि मौजा कपूरड़ी पटवार क्षेत्र कपूरड़ी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 828 / 2 रकबा 02.10 बीघा भूमि गै.मु. उद्योग व खसरा संख्या 820 / 2 रकबा 0.10 बीघा बा.दो. आई हुई है। वादी के खोतदारी के खेत की सीमाज्ञान का आदेश तहसीलदार बाडमेर द्वारा दिनांक 13.08.2019 को किया गया। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का कपूरड़ी व दूदाबेरी तथा भू.अ. निरीक्षक विशाला तथा थानाधिकारी पुलिस थाना बाडमेर ग्रामीण द्वारा दिनांक 20.08.2019 को मौका पर वादी की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जिस पर वादी की भूमि पर लगभग आधे हिस्से पर खसरा संख्या 374 / 2 रकबा 02.13 बीघा किस्म गै.मु. उद्योग के खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा यानि फैक्टरी बनी हुई पाई गई, जिसकी फर्द मौका बनाई गई। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 01 का अनाधिकृत कब्जा हटाने का आदेश दिलाने का निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित होकर आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का ओवदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकित किया है कि मौजा कपूरड़ी पटवार क्षेत्र कपूरड़ी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 828 / 2 रकबा 02.10 बीघा भूमि गै.मु. उद्योग व खसरा संख्या 820 / 2 रकबा 0.10 बीघा बा.दो. पर प्रतिवादी संख्या 01 के खसरा संख्या 374 / 2 किस्म गै.मु.उद्योग की सीमा के मध्य विवाद व अतिक्रमण का उल्लेख किया है। उक्त विवाद के सम्बन्ध में निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नही होने से माननीय न्यायालय में क्षेत्राधिकार का नही होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उसे उद्योग के प्रयोजनार्थ पक्का कब्जा कर निर्माण कार्य कर उद्योग के प्रयोजनार्थ कार्य किया जा रहा है। अतः बिना क्षेत्राधिकार उक्त वाद पोषणीय नही होने से खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 20.08.2019 को पटवारी हल्का कपूरड़ी व दूदाबेरी तथा भू.अ.

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निरीक्षक विशाला तथा थानाधिकारी पुलिस थाना बाडमेर ग्रामीण द्वारा मौका पर वादी की भूमि का सीमाज्ञान करवाया जिस पर वादी की भूमि पर लगभग आधे हिस्से पर खसरा संख्या 374/2 रकबा 02.13 बीघा किस्म गै.मु. उद्योग के खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा यानि फैक्टरी बनी हुई पाई गई, जिसकी फर्द मौका से प्रमाणित है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 01 का अनाधिकृत कब्जा हटाने का आदेश दिलाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कृषि भूमि से सम्बन्धित नही होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नही होने से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है।

अतः वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 06/09/22 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर